न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), टाण्डा, अम्बेडकरनगर
मूलवाद सं0–361/2017
किश्वरजहां आदि बनाम आलमगीर बेग आदि
CNR NO– UPAN120007252017

दिनांक 04.09.2020 अवकाश
दिनांक–05.09.2020

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराया गया। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने अभिवचनों का समर्थन किया गया एवं संधि करने से इंकार किया और वाद बिन्दु विरचित किये जाने की याचना की गयी। इस स्तर पर उभयपक्ष के मध्य संधि का कोई तत्व विद्यमान नहीं है। तदनुसार उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैंः–

1. क्या वादीगण वाद पत्र में उल्लिखित आधारों पर विवादित आराजी का वसीयतनामा दिनांकित 31.01.1986 को मंसूख करा पाने का अधिकारी है ?
2. क्या वाद अल्प मूल्यांकित है ?
3. क्या प्रदत्त न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या दावा वादीगण का दावा मियाद बाहर है ?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है ?

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु उत्पन्न नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा बनाये जाने पर बल दिया जाता है। पत्रावली वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 के निस्तारण हेतु दिनांक 29.10.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0), टाण्डा,
अम्बेडकरनगर
जे0ओ0 नं0–2353